गिरीश ग्रा राज : सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्र.सं. 125/22
29/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस दि० 6/6/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई
6/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस उभयपक्ष वकील सुनी गयी। वास्ते आदेश दि० 10-06-24 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई
10/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष वकील बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली व संलग्न दस्तावेजातों का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष वकील बहस पर मनन करने एवं उपरोक्त अवलोकन के आधार पर प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अ० धारा-128 L.R. Act स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) 10/6/24 उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.) बांदीकुई

प्रकरण संख्या 125/2022
प्रकरण दायर दिनांक 08.06.2022
प्रकरण निर्णय दिनांक: 10.06.2024

उनवान

1 गिर्राज 2. गिरधारी	पिसरान भगवानसहाय	कौम ब्राह्मण नि. भोजवाडा तह. बसवा जिला दौसा राज.
3. मॉगीलाल पुत्र गोरधन		

वनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसवा तहतील बसवा जिला दौसा ।
2. कल्याण पुत्र नारायण
3. लक्ष्मण उर्फ लक्ष्मीनारायण पुत्र नारायण

} जाति ब्राह्मण निवासी भोजवाडा तह. बसवा जिला दौसा

"दावा अन्तर्गत धारा 128 राज. लै. रे. एक्ट"

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट इस आशय का पेश किया कि ग्राम भोजवाडा पटवार हल्का भोजवाडा तह. बसवा हाल तह. बॉदीकुई जिला दौसा में भूमि खेवट खतौनी सं. नई 107 पुरानी 102 के खसरा नम्बर 370 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, खसरा नं. 371 रकबा 0.1300 है., खसरा नम्बर 372 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 373 रकबा 0.1600 हैक्टे., खसरा नम्बर 376 रकबा 0.1200 हैक्ट., खसरा नम्बर 377 रकबा 0.1300 हैक्टे, खसरा नम्बर 411 रकबा 0.1800 हेक्ट., खसरा नम्बर 412 रकबा 0.2300 हैक्ट., खसरा नम्बर 420 रकबा 0.2300 हैक्ट., खसरा नम्बर 421 रकबा 0.1900 हैक्ट., कुल किता 10 कुल क्षेत्रफल 1.6900 हैक्टे. त्थित है तथा खाता संख्या नया 106 पुराना 101 के खसरा नम्बर 413 रकबा 0.0400 हैक्टे. त्थित है जिसको आगे चलकर भूमि मुतदाविया के नाम ते सम्बोधित किया जावेगा । भूमि मुतदाविया वर्णित जिम्मन नम्बर एक वाद पत्र में वादीगण के कब्जे काश्त ममलूका मकबूजा व खातेदारी की भूमि हे जिसको वादीगण अर्से दराज बजमाने बुजुर्गान से काश्त कर मुफीद होते चले आ रहे है। भूमि मुतदाविया के आस पास के पडौसी काश्तकारान जो कि वादीगण के असहाय व गरीबी व कमजोरी का नाजायज फायदा उठाकर वादीगण की भूमि को दबाने की कौशिश में लगे रहते है जो कि आये दिन खेतों के मध्य बनी हुयी डोल मेड को तोड़ते रहते है जिससे आये दिन झगडा पिसाद होते रहते है आये दिन आदमी मरने की सरत पैदा हो जाती है। पडौसी काश्तकारान से आये दिन झगडो होते है तथा संगीन वारदात होने की सम्भावना पैदा हो जाती है। वादीगण जो कि निहायत ही गरीब है तथा पडौसी काश्तकारान से मुकाबला करने में कतई असमर्थ रहते है ऐसी सूरत में वादीगण ने भूमि सुतदाविया की नाप करवाने के लिये श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र वादीगण द्वारा पेश किया गया लेकिन आज दिन तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी और ना ही पत्थरगढ़ी की गयी जिससे पड़ौसी काश्तकारान के हौसले बुलन्द है तथा बिना नाप व पत्थरगढ़ी करवाये पडौसी

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

भूमि सुतदाविया की नाप करवाने के लिये श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र वादीगण द्वारा पेश किया गया लेकिन आज दिन तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी और ना ही पत्थरगढ़ी की गयी जिससे पड़ौसी काश्तकारान के हौसले बुलन्द है तथा बिना नाप व पत्थरगढ़ी करवाये पडौसी काश्तकारान वादीगण की भूमि को दबाते रहे है ऐसी सूरत में भूमि मुतदाविया की मौके पर नाप की जाकर पत्थरगढ़ी करवाया जाना आवश्यक है जिससे आये दिन होने वाले झगडा से बचा जा सक। वादी पडौसी काश्तकारान के अनुचित हस्तक्षेप से परेशान है। वादीगण अपनी खातेदारी भूमियों का सीमाज्ञान पत्थरगढी पडौसी काश्तकारान की उपस्थिति में करवाकर अनावश्यक सीमा विवाद का स्थायी समाधान चाहते है ताकि आये दिन होने वाले झगडों से मुक्ति मिल सके। दिनांकः 06.07.2021 को वादीगण प्रतिवादी सं. 1 के यहॉ अपनी भूमि की पत्थरगढी करवाने के लिये प्रार्थना पत्र पेश करने गये तो प्रतिवादी सं. 01 ने प्रार्थना पत्र लेने से मना कर दिया व कहा कि न्यायालय से आदेश करवाकर लाओ तब हम आपकी भूमि की पुनः नाप करके पत्थरगढी करेगें। वादीगण की भूमि की पत्थरगदी हुये बिना वादीगण को भारी अपूर्तिनिय क्षति कारित होगी तथा पड़ौसी काश्तकारान से भारी झगडे फिसाद होकर मिनख मरायी की सूरत पैदा हो जावेगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं है ऐसी सूरत में दावा हाजा के और कोई चारा नजर नहीं आया इस कारण दावा हाजा पेश करना लाजिम आया।

अतः दावा पेश कर निवेदन है कि भूमि मुतदाविया वर्णित पैरा नम्बर एक वाद पत्र खाता सं. नया 107, पुराना 102 के खसरा नम्बर 370, 371, 372, 373 376, 377, 411, 412, 420, 421, एवम् खाता सं. नया 106 पुराना 101 के खसरा नम्बर 413 वाके ग्राम भौजवाडा पटवार हल्का भोजवाडा तहसील बसवा हाल तह. बॉदीकुई जिला दौसा की मौके पर नाप कर निशानात कायम कर मौके पर ही पत्थरगढी करवायी जाने के लिये प्रतिवादी संख्या एक को आदेशित फरमाया जावे ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण जर्ये नोटिस विधिवत की गयी। अप्रार्थीगण सं. 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित आये। प्रकरण में पटवारी हल्का भोजवाडा एवं भू. अ. निरीक्षक गुढलिया रिपोर्ट दिनांकः 10.11.22 प्राप्त हुई। नायब तहसीलदार बॉदीकुई ने प्रकरण में अपना जवाब दिनांकः 02.05.2024 पेश किया। अप्रार्थीगण सं. 2 व 3 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रकरण में बहस उभयपक्ष वकील सुनी गयी। प्रार्थीगण वकील ने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया। अप्रार्थीगण वकील ने बहस में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया। हमने बहस उभयपक्ष वकील पर मनन किया। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजात राजस्व जमाबनदी संवत 2073–76 ग्राम भोजवाडा खाता सं. नया 106 पुराना 101, जमाबंदी संवत 2073–76 ग्राम भोजवाडा खाता सं. नया 107 पुराना 102, मौका पर्चा सीमाज्ञान ग्राम भोजवाडा दिनांकः 08.06.2021, पटवारी हल्का भोजवाडा एवं भू.अ. निरीक्षक गुढलिया रिपोर्ट दिनांकः 10.11.22 एवं नायब तहसीलदार बॉदीकुई जवाब दिनांकः 02.05.2024 का अवलोकन किया गया। राजस्व जमाबंदी संवत 2073–76 ग्राम भोजवाडा खाता सं. नया 106 पुराना 101 एवं खाता सं. नया 107 पुराना 102 के प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं। मौका पर्चा सीमाज्ञान ग्राम भोजवाडा दिनांकः 08.06.2021 के अनुसार वादग्रस्त भूमि का सीमाज्ञान हो चुका है। सीमाज्ञान/सीमाचिन्ह व पत्थरगढी विधिवत करने में बाधा का कोई कारण नहीं है। भूमि सुरक्षा हेतु सीमाज्ञान/सीमाचिन्ह व पत्थरगढी निर्धारित कराने का प्रार्थीगण को एल.आर. एक्ट. प्रावधानों के अंतर्गत अधिकारात प्राप्त है। अतः उभयपक्ष बहस पर मनन करने एवं प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजात राजस्व जमाबन्दी, मौका पर्चा सीमाज्ञान ग्राम भोजवाडा दिनांकः 08.06.2021, पटवारी हल्का भोजवाडा एवं भू.अ. निरीक्षक गुढलिया रिपोर्ट दिनांकः10.11.22 एवं नायब तहसीलदार बॉदीकुई जवाब दिनांकः 02.05.2024 के अवलोकन के आधार पर प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. स्वीकार

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल. आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार बांदीकुई प्रार्थीगण की दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी भूमि खाता सं. नया 107, पुराना 102 खसरा नम्बर 370, 371, 372, 373 376, 377, 411, 412, 420, 421, एवम् खाता सं. नया 106 पुराना 101 खसरा नम्बर 413 वाके ग्राम भोजवाडा तहसील बसवा हाल तह. बॉदीकुई जिला दौसा की मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांकः 08.06.2021 के विधिवत पत्थरगढी मय राजस्व टीम भू. अ. निरीक्षक, पटवारी की गठित कर करावें। पत्थरगढी के दौरान मौके पर कानून व्यवस्था/शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु आवश्यक पुलिस जाप्ता थानाधिकारी कोलवा से प्राप्त करें। थानाधिकारी कोलवा वांछित पुलिस जाप्ता तहसीलदार बांदीकुई को उपलब्ध करावें। पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

10.6.24

(रामसिंह राजावत)

आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी

बांदीकुई

उपखण्ड अधिकारी

बांदीकुई